


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र046225.../श्री सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 (84), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
20.12.17  
(शिवमहादेव प्रसाद)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र046225/पटना-15, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/सभी विभाग/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 (84), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के गैर-संवर्गीय पद को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-9(अनुसूची-II) के तहत मुख्य सचिव स्तर के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. श्री शर्मा का यह पदस्थापन दिनांक 28.02.2018 तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-11030/23/2007-ए आई एस- II दिनांक 02.11.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा श्री अंजनी कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच : 1981) की फरवरी, 2018 में निर्धारित सेवानिवृत्ति तक के लिए बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 के शीर्ष वेतनमान हेतु स्वीकृत एक अतिरिक्त पद के विरुद्ध होगा। तत्पश्चात्, वह बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 के शीर्ष वेतनमान के लिए नियमानुसार अनुमान्य गैर-संवर्गीय पदों में सामंजित हो जायेगा।

  
20.12.17  
(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।